न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 104/2023 (RCMS : 2023/182)

1. **मेजर सिंह** पुत्र तोता सिंह जाति जटसिख निवासी पतली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर,** जिला श्रीगंगानगर
2. **अवतार सिंह** पुत्र श्री मिठ्ठू सिंह, जाति जटसिख, निवासी पतली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
3. **रणजीत कौर** पत्नी श्री मिठ्ठू सिंह जाति जटसिख, निवासी पतली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
4. **स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.03.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलकरण सिंह बराड़ उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 209/2022 अनवानी सरजीत सिंह व अन्य बनाम अवतार सिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान करश्तकारी अधिनियम मय प्रकरण संख्या 143/2023 अनवानी सरजीत सिंह व अन्य बनाम अवतार सिंह एवं अन्य अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:11 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, अतः उनके द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रकरण को खारिज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्य 209/2022 अनवानी सरजीत सिंह व अन्य बनाम अवतार सिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय प्रकरण संख्या 143/2023 अनवानी सरजीत सिंह व अन्य बनाम अवतार सिह व अन्य अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:11 IST
Reason: SelfAttested